



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ – 226003

फोन : 91-0522-2253171 फ़ैक्स : 91-0522-2257539

वेबसाईट : www.kgmu.org ई-मेल : registrar@kgmcindia.edu

Ref. No.- 5456 / Meeting Cell

Dated: 23.07.2022

To,

- 1- **Hon'ble Mr. Justice Ramesh Sinha (Sr. Judge, Lko.)**
High Court Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench, Lucknow.
- 2- **Prof. Vineet Sharma**
Pro-Vice-Chancellor,
KGMU, Lucknow.
- 3- **Prof. A.K. Tripathi**
Dean,
Faculty of Medicine,
KGMU, Lucknow.
- 4- **Prof. R.K. Singh**
Dean,
Faculty of Dental Sciences,
KGMU, Lucknow.
- 5- **Prof. Apjit Kaur**
Dean,
Faculty of Nursing,
KGMU, Lucknow.
- 6- **Prof. Anil Nischal**
Dean,
Faculty of Paramedical Sciences,
KGMU, Lucknow.
- 7- **Smt. Shruti Singh**
Director General,
Medical Education & Training UP,
Jawahar Bhawan, Lucknow.
- 8- **Prof. Randeep Guleria**
Director,
All India Institute of Medical Sciences,
New Delhi - 110029.
- 9- **Prof. R.K. Dhiman**
Director,
Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences,
Lucknow.
- 10- **Dr. (Prof.) Ganesh Kumar**
Principal,
B.R.D. Medical College,
Gorakhpur, Uttar Pradesh 273013.
- 11- **Prof. A.P. Tikku**
Professor & Head,
Department of Conservative Dentistry & Endodontics,
KGMU, Lucknow
- 12- **Prof. Amita Jain**
Professor & Head,
Department of Microbiology,
KGMU, Lucknow
- 13- **Prof. S.D. Pandey**
M-1201, Shalimar Galent,
Vigyanpuri, Mahanagar
Lucknow.
- 14- **Prof. Siddharth Kumar Das**
B-2, Sector-B,
Aliganj, Near Aliganj Thana,
Lucknow-226024.
- 15- **Prof. R.G. Singh**
B31/80-2, Plot No. 2, Ahilya Bai Colony,
Near Banaras Sweets House,
Lanka, Varanasi 221005.

Hon'ble Members,

Please find enclosed herewith the copy of the minutes of the 48th Regular Meeting of the Executive Council held on 22.07.2022 (Friday) at 03:00 p.m. in the Board Room of the Administrative Block, KGMU for your kind consideration.

Thanking You,

Enclosures: As above.

Yours Sincerely,

Registrar
KGMU UP, Lucknow.

Copy along with copy of the minutes is forwarded to the following for information and necessary action:-


- (1) Incharge-R.Camp & All Sections, Registrar Office, King George's Medical University, UP, Lucknow.
- (2) Member Secretary, Information Technology Cell, KGMU for displaying/uploading copy on University Website (https://www.kgmu.org/exe_councillors.php).
- (3) Finance Officer, King George's Medical University, UP, Lucknow.
- (4) P.A. to Registrar, King George's Medical University, UP, Lucknow.
- (5) P.S. to Vice-Chancellor for kind information of Hon'ble Vice-Chancellor, King George's Medical University, UP, Lucknow.



Minutes of the 48th Regular Meeting of the Executive Council of King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow held on July 22, 2022 (Friday) at 03:00 p.m. in the Board Room of the Administrative Block of the University.

Following were present:-

1. **Lt. Gen. (Dr.) Bipin Puri** - Chairman
PVSM, VSM (Retd.)
Vice-Chancellor,
KGMU.
2. **Prof. Vineet Sharma** - Member
Pro-Vice-Chancellor,
KGMU.
3. **Prof. A.K. Tripathi** - Member
Dean,
Faculty of Medicine, KGMU.
4. **Prof. R. K. Singh** - Member
Dean,
Faculty of Dental Sciences, KGMU.
5. **Prof. Apjit Kaur** - Member
Dean,
Faculty of Nursing, KGMU.
6. **Prof. Anil Nischal** - Member
Dean,
Faculty of Paramedical Sciences, KGMU.
7. **Prof. A.P. Tikku** - Member
Professor & Head,
Department of Conservative Dentistry & Endodontics,
KGMU.
8. **Prof. Amita Jain** - Member
Prof. & Head,
Department of Microbiology,
KGMU.


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


(1)



Registrar
King George's Medical University

9. **Dr. (Prof.) Ganesh Kumar** - Member
Principal, B.R.D. Medical College
Gorakhpur, U.P. - 273013
10. **Prof. S.D. Pandey** - Member
Eldeco Emperor, Flat No. 901,
New Hyderabad, Lucknow.
11. **Prof. Siddharth Kumar Das** - Member
B-2, Sector-B, Aliganj,
Near Aliganj Thana, Lucknow-226024.
12. **Dr. R.G. Singh** (participated through Video-Conferencing) - Member
Distinguished Professor,
B31/80-2, Plot No. 2 Ahilya Bai Colony
Near Banaras Sweets House, Lanka, Varanasi
13. **Shri. Ashutosh Kumar Dwivedi, IAS** - Ex-Officio
Registrar, Secretary
KGMU.
14. **Shri. Vinay Kumar Rai,** - Special
Finance Office, Invitee
KGMU.

Registrar/ Ex-Officio Secretary informed that the quorum is complete. At the outset, Hon'ble Vice-Chancellor/Chairman while welcoming the members of the Executive Council, introduced the new members of the Executive Council, namely:- Prof. A.P. Tikku & Prof. Amita Jain.

Then the Executive Council took up the point wise agenda for deliberation and the following resolutions were made:


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 01

To confirm the minutes/resolutions of Executive Council Meetings held on 28.01.2022 (Regular Meeting), 18.02.2022 (Emergent Meeting), 26.03.2022 (By Circulation), 13.05.2022 (Special Meeting), 03.06.2022 (Emergent Meeting), 22.06.2022 (Emergent Meeting) and 11.07.2022 (By Circulation).

Resolution:-

The Executive Council unanimously, confirmed the minutes/resolutions, with below mentioned corrections:-

- In Resolution on Agenda Item No.- 02 of the Emergent Meeting held on 22.06.2022, the words 'As far as the dissents regarding final seniority list of the Department of Radiodiagnosis is considered, taking into account the issue of seniority between Dr. Anit Parihar & Dr. Manoj Kumar, it was discussed and resolved that the matter be referred to Advocate General of Uttar Pradesh for legal opinion.' be read as 'As far as the final seniority list of the Department of Radiodiagnosis is considered, though the majority of the members were agreed with the recommendations of the seniority committee that Dr. Anit Parihar is senior to Dr. Manoj Kumar in the department, but for a fair decision on this matter, it was discussed and resolved that the issue of seniority between Dr. Anit Parihar & Dr. Manoj Kumar be referred to Advocate General of Uttar Pradesh for legal opinion.'

In this regard, the letter sent to Principal Secretary, Medical Education Department, Govt. Of Uttar Pradesh, by the University Administration, vide reference no. 5128/B-2022 dt. 16.07.2022 was circulated on the table.

- In Resolution on Agenda Item No.- 03 of the Emergent Meeting held on 03.06.2022, it be added that 'अग्रेतर, कार्य परिषद् द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रस्तुत दस्तावेजों के परिक्षण उपरांत विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों हेतु व्यय की कमी को संज्ञान में लिया एवं उक्त को बढ़ावा देने हेतु, आगामी बजट प्राविधानों में अनुसंधान गतिविधियों हेतु व्यय में वृद्धि को प्रमुखता दिये जाने एवं इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से समय-समय पर कार्य-परिषद् को अवगत कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति से अपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, आगामी बजट, कार्य-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करते समय, उक्त का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिये, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से अपेक्षा की गई।'



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 02

To apprise with Action Taken Report on the resolutions taken by the Executive Council in its meeting held on 05.08.2021 (Regular Meeting), 28.08.2021 (By Circulation), 17.09.2021 (By Circulation), 30.10.2021 (By Circulation), 17.11.2021 (By Circulation), 26.11.2021 (Emergent Meeting), 17.12.2021 (By Circulation), 28.12.2021 (By Circulation) and 05.01.2022 (By Circulation).

Resolution:-

The Executive Council unanimously, expressed its satisfaction on the Action Taken Report (ATR) and approved the same & directed to take timely action on the matters that are currently under process.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 03

To discuss the matter regarding reply submitted by Dr. Shadab Mohammad & Dr. Diksha Singh with regard to the Show Cause Notice served to them in compliance of resolution of the Executive on Agenda Item No. 03 of the meeting held on 28.01.2022.

Reference - Letter No. 13558/B-2022 dt. 09.03.2022 and Letter No. 1660/B-2022, dt. 13.05.2022 of B Section, Registrar Office of this University.

Resolution:-

The Executive Council deliberated in length on the reply submitted by Dr. Shadab Mohammad & Dr. Diksha Singh and unanimously resolved that a warning letter be issued to both of them that such actions are not repeated and they should be careful in the future and with this the enquiry proceedings be closed.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 04

विश्वविद्यालय के पत्रांक 13503/बी-2022 दिनांक 08.03.2022 द्वारा प्रेषित चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफ़ेसर) एवं एसोसिएट प्रोफ़ेसर के पद पर हुई समयबद्ध वैयक्तिक प्रोन्नतियों में शिक्षकों की त्रुटिवश अंकित पदनाम एवं बैकडेटिंग की तिथियों को सही करने सम्बन्धी प्रस्ताव, माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

Note:-

1. After deliberation on Agenda No. 04:-
 - (a) Hon'ble Vice-Chancellor/Chairman of the Executive Council recused himself from the meeting,
 - (b) Prof. Apjit Kaur, Dean, Faculty of Nursing Sciences/Hon'ble Member of the Executive Council recused herself from the meeting, &
 - (c) As per the provisions of regulation 4.01 of the 'The King George's Medical University (Conduct and Procedure of Meeting of Executive Council) Regulations, 2018', in the absence of the Chairman, the members present, elected Prof. Vineet Sharma, Pro-Vice-Chancellor/ Hon'ble Member of the Executive Council as the Chairman.
2. Then after deliberation began on Agenda No- 05.

AGENDA ITEM NO. 05

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के नोटिस संख्या 63/बी-2022 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा डा0 गौरव कुमार के प्रकरण में अनुशासनिक समिति की बैठक दिनांक 02.07.2022 को आहूत की गई, जिसके उपरंत उनकी चार्ज-शीट तैयार कर ली गई है।

अतः चार्ज-शीट को अनुमोदित करते हुए, डा0 गौरव कुमार, सहायक आचार्य (निलंबित) को चार्ज शीट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण, माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

सन्दर्भ- बी0 अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय की नोट-शीट दिनांक 11.07.2022 एवं पत्र संख्या 5001/बी-2022 दिनांक 13.07.2022।

RESOLUTION:-


मा0 अध्यक्ष द्वारा चार्जशीट पढ़ी गई। जिसके पश्चात् सम्यक् विचारोपरांत, माननीय कार्य-परिषद् ने अनुशासनिक समिति द्वारा तैयार की गई चार्जशीट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया तथा डा0 गौरव कुमार, सहायक आचार्य (निलंबित) को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनके घर के पते पर, ई-मेल द्वारा एवं एक प्रति 'द्वारा उचित माध्यम' से निर्गत किये जाने के निर्देश प्रदान किये।

Note:-

1. After deliberation and resolution on Agenda No. 05:-
 - (a) Hon'ble Vice-Chancellor joined back the meeting and Prof. Vineet Sharma was relieved as the Chairman.
 - (b) Prof. Apjit Kaur, Dean, Faculty of Nursing Sciences/Hon'ble Member of the Executive Council joined back the meeting.
2. Then after deliberation began on Agenda No- 06.

(7)


REGISTRAR
King George's Medical University, U.P.


Pro-Vice Chancellor
King George's Medical University, U.P.
Lucknow

AGENDA ITEM NO. 06

विश्वविद्यालय के पत्रांक 1410/बी-2022 दिनांक 06.05.2022 द्वारा प्रेषित चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की प्रोफेसर, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफेसर) एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हुई समयबद्ध वैयक्तिक प्रोन्नतियों को उनकी अर्हता की तिथियों से बैकडेटिंग करने सम्बन्धी प्रस्ताव, माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 07

माननीय कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 05.08.2021 के एजेंडा आइटम संख्या - 3 पर किये गए विनिश्चय के अनुपालन में डा0 यशवीर सिंह द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी- बलिया से अनुरोध किया गया जिसपर जांचोपरांत अवगत कराया गया कि श्री यशवीर सिंह पुत्र श्री अर्जून सिंह निवासी-ताड़ीबड़ागांव, थाना नगरा, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया की आय रु0 आठ लाख से अधिक होने के कारण तहसीलदार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (ई0डब्लू0एस0) संख्या 2027 दिनांक 04.02.2020 को आदेश दिनांक 26.03.2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त डा0 यशवीर सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में नियुक्ति पत्र जारी किये जाने हेतु रिट - ए संख्या 660 आफ 2022 दायर की गई थी, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.02.2022 में इनके आवेदन पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने के आदेश प्रदान किये गये।

उपरोक्त के आलोक में प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सन्दर्भ- बी0 अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय की नोट-शीट दिनांक 05.04.2022।

Resolution:-

डा0 यशवीर सिंह द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के प्रमाण-पत्र के चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन में सम्बंधित तहसीलदार द्वारा संदर्भगत प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप, कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उनकी नियुक्ति को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 08

रिट याचिका संख्या- 22454/एस0एस0/2021, डा0 प्रतिभा शक्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से नामित श्री अनिल कुमार तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बीजक दिनांक 30.09.2021 रु0 2,87,500 तथा बीजक दिनांक 19.10.2021 रु0 2,87,500 (कुल रु0 5,75,000 - शब्दों में रुपया पांच लाख पचहत्तर हजार मात्र) का भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

सन्दर्भ- विधि अनुभाग अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्र संख्या- 12312/लीगल सेल, दिनांक 10.02.2022 ।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 09

श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी, अधिवक्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं कार्यालय के पत्र संख्या 2760/लीगल सेल, दिनांक 21.06.2021 के द्वारा समाप्त कर दी गयी हैं। जिसके उपरान्त श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी, अधिवक्ता द्वारा बीजकों (नोट शीट में उल्लिखित क्रमांक A, B, C, D, E), कुल धनराशि = ₹0 20,75,787 को प्रस्तुत कर भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी, अधिवक्ता द्वारा नोट शीट में उल्लिखित क्रमांक A व B वादों में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चिकित्सा विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद का अंतिम रूप से निस्तारण के उपरान्त बीजक प्रेषित किये गये है, उक्त वादों के निस्तारण के उपरान्त मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी, अधिवक्ता को (क्रमांक A व B) कुल ₹0 3,06,514 / - (रुपया तीन लाख छह हजार पांच सौ चौदह मात्र) का भुगतान किया जा चुका है। वित्त अधिकारी द्वारा अवशेष विचाराधीन वादों में मा0 कार्यपरिषद् के निर्णय के उपरान्त ही बीजकों (₹0 20,75,787 - ₹0 3,06,514 = ₹0 17,69,273) का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सन्दर्भ- विधि अनुभाग अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्रांक- 51/लीगल सेल, दिनांक 01.07.2022।

Resolution:-

विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी द्वारा प्रेषित बिलों में जिन वादों में श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण कराया गया है, ऐसे समस्त वादों का शत प्रतिशत (75% + 25%) भुगतान, अनुबंध की शर्तों के दृष्टिगत किया जा चुका है। बिल में कतिपय वाद, जिनमें श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत किया गया हो, परन्तु उनका अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ हो, ऐसे समस्त अनिर्णीत वादों का भुगतान 75% की दर से, अनुबंध की शर्तों के दृष्टिगत किया जाना है। इसके अतिरिक्त जिन अनिर्णीत वादों में उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया हो, ऐसे वादों के बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।

सम्यक विचारोपरांत, कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से विषयगत प्रसंग में सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया कि जिन वादों में श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय का पक्ष प्रस्तुत किया गया हो, परन्तु उनका अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ हो, ऐसे समस्त अनिर्णीत वादों के बिल के भुगतान की दर पर, श्री अभिनव एन0 त्रिवेदी द्वारा ऐसे वादों में उनके द्वारा किये गये योगदान के आधार पर निगोशीएशन भी कर लिया जाय। तत्पश्चात् अनुबंध की दर अथवा निगोशीएटेड दर पर, जो भी न्यूनतम हो, से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

साथ ही, भविष्य के लिए अधिवक्ता के बदलने की स्थिति में अनिर्णीत वादों के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक विस्तृत नीति निर्धारित कर ली जाय।

VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

(11)

Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 10

डा0 एल0पी0 मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा प्रेषित बीजक दिनांक 17.01.2022 (रू0 2,01,250/-), बीजक दिनांक 17.02.2022 (रू0 2,28,750/-) व बीजक दिनांक 17.01.2022 (रू0 2,01,250/-) कुल रू0 6,31,250/- के भुगतान किये जाने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष एस0एल0पी0 6899-6900 ऑफ 2022 प्रो0 ले0 जनरल डा0 बिपिन पुरी व अन्य बनाम प्रो0 आशीष वाखलू व अन्य में वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती एश्वर्या भाटी द्वारा प्रेषित बीजक दिनांक- 13.04.2022 (रू0 1,50,000/-) तथा बीजक दिनांक 18.04.2022 (रू0 1,50,000/-) कुल रू0 3,00,000/- के भुगतान किये जाने विषयक प्रकरण को मा0 कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सन्दर्भ- विधि अनुभाग अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्रांक- 4518/लीगल सेल, दिनांक 02.07.2022।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow


AGENDA ITEM NO. 11


पीडियाट्रिक विभाग में पीडियाट्रिक आन्कोलोजी विभाग को विलय किये जाने के साथ ही बाल विभाग में डी0एम0 पाठ्यक्रम शुरू करने सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

सन्दर्भ- को.फेकल्टी इंचार्ज, एम0सी0आई0 सेल का पत्रांक- 49/एम0सी0आई0/सेल/22, दिनांक 25.05.2022 ।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 12

To discuss and approve the final draft of 'Intellectual Property Policy' submitted by Prof. Rishi Sethi, Convenor, Intellectual Property Committee, *vide* letter dt. 07.02.2022.

Resolution:-

The details about the proposed IP Policy were presented by Dr. Rishi Sethi (convenor of the IP Policy committee).

Hon'ble Members suggested that the revenue share of the University in all innovations/patents be kept as 20%, irrespective of University's financial support for the innovations/patents.

After due discussion, the 'Intellectual Property Policy' was unanimously accepted, incorporating the suggestion made as above.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 13

To discuss and approve the 'Draft of Completion of MBSS Course-2021' submitted by Dean, Academics *vide* letter no #Dean-Academic/KGMU/2022/4488 dt. 13.06.2022.

Resolution:-

The proposal was discussed in length and it was unanimously approved with below amendment in point no. 04 of the draft:-

- The words "will struck off." be replaced with "will be automatically struck off."
-



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 14

To consider :-

- (a) resolution on Agenda No. 2, 3, 9, 11, 12 & 17(d) of Examination Committee meeting dt. 11.04.2022 and Any Other Agenda No. 2 & 3 of Examination Committee meeting dt. 10.06.2022, submitted *vide* letter no. 489/Exam/Gen./2022 dt. 14.06.2022 of Controller of Examination of this University.
- (b) minutes of Examination Committee meeting held on 23rd March 2021, submitted *vide* letter no. 14/Exam/Gen./2021 dt. 03.04.2021 of Controller of Examination of this University.
- (c) the remuneration rates for the Tabulation and Collation (for the work of Result Section), submitted *vide* letter no. 698/Exam/General/2022 dt. 07.07.2022 of Controller of Examination of this University.

Resolution:-

The details related to the proposal were presented by the Controller of Examination. After due deliberation it was unanimously approved as proposed.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow


AGENDA ITEM NO. 15

चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 का कार्यवृत्त माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।


सन्दर्भ: मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, केजीएमयू, लखनऊ का पत्रांक- 300/सीएमएस कैम्प/2022, दिनांक 17.06.2022 ।

Resolution:-

- सम्यक् विचारोपरांत, सर्वसम्मति से चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 25.03.2022 के कार्यवृत्त के एजेण्डा संख्या 18.1 एवं 18.3 के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान की गई । कार्यवृत्त के एजेण्डा संख्या 18.1 एवं 18.3 पर विचार-विमर्श उपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया:-
 - एजेण्डा संख्या- 18.1 पर चिकित्सीय सेवाओं की दर वृद्धि के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया । तदोपरान्त शासन की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रस्ताव चिकित्सा विश्वविद्यालय में लागू किया जाय ।
 - एजेण्डा संख्या- 18.3 पर काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले फैंकल्टी/पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अलग से मानदेय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को इस शर्त के साथ लागू करने की अनुमति प्रदान की गई कि उक्त मानदेय शासन / महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर ही शासन / महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से काउंसलिंग हेतु प्राप्त धनराशि से ही किया जाय । उक्त मानदेय का भुगतान चिकित्सा विश्वविद्यालय के किसी मद अथवा आय से नहीं किया जायेगा ।
- एजेण्डा संख्या- 13 के सम्बन्ध में यह मत भी स्थिर किया गया कि भविष्य में किसी भी विभाग अथवा यूनिट द्वारा ओपीडी में नई क्लिनिक खोलने से पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति प्राप्त की जाय जिससे कि उक्त को चालू किये जाने से पूर्व उक्त हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके ।


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

(17)


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 16

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- के0जी0एम0यू0वी0सी0/623/2022 दिनांक 12.03.2022 द्वारा उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या के0जी0एम0यू0वी0सी0/623/2022, दिनांक 12.03.2022 के द्वारा के0जी0एम0यू0 में चिकित्सा शिक्षकों को वित्तीय हानि से संरक्षित करने के दृष्टिगत 01 जनवरी से 30 जून तक अर्हता पूर्ण करने वाले चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति जुलाई से दिसम्बर के मध्य तक तथा 01 जुलाई से 31 दिसम्बर तक अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु जनवरी से मार्च के मध्य चयन समितियों आहूत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया था ।

विश्वविद्यालय के उक्त पत्र के सन्दर्भ में श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2), उत्तर प्रदेश के फाईल संख्या 71-2099/2928/2020 पत्र संख्या-1/157788/2022 दिनांक 20.04.2022 अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-69/2015/2381/71-2-15-के0जी0एम0यू0-61/2014, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सा शिक्षकों को एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के समान पुनर्गठित करते हुए वेतन व भत्ते प्रदान किए गए और एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 के चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की व्यवस्था लागू की गयी है ।

शासन के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.20-1 /2017(A)Estt.1 दिनांक 29-04-2019 में संकाय सदस्यों को दी जाने वाली प्रोन्नति की तिथि के संबंध में निम्न व्यवस्था है :

1. Cutoff dates for considering the eligibility criteria of the faculty after completion of the required tenure of service for the promotion is 30th June, however, the promotion would be made effective from 1st July.
2. The promotion is effective from the date one becomes eligible even if selection process is delayed. e.g. If one is eligible w.e.f. 01.07.2019 & interviews are held on 2020 & results declared in 2021, the promotion will be made effective w.e.f. dated of eligibility i.e. 01.07.2019 & one will get arrears for; the intervening period.

उक्त के दृष्टिगत शासन के उक्त पत्र में निर्देशित किया गया है कि के0जी0एम0यू0 में चिकित्सा शिक्षकों को दी जाने वाली प्रोन्नति एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र दिनांक 29.04.2019 की प्रचलित व्यवस्थानुसार दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

उपरोक्त प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

सन्दर्भ: बी0 अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्रांक- 1654/बी-2022, दिनांक 13.05.2022 ।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश को चिकित्सा विश्वविद्यालय में शासनादेश की तिथि से अंगीकृत करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

(18)

Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

Note:- After deliberation on Agenda Item No. 16, Prof. Apjit Kaur, Dean, Faculty of Nursing Sciences/Hon'ble Member of the Executive Council recused herself from the meeting, & then-after deliberation began on Agenda Item No. 17.

AGENDA ITEM NO. 17

श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या I/174671/2022 दिनांक 06.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि सचिव, लोक आयुक्त, उ०प्र० के पत्र संख्या-777 2020/14/8359, दिनांक 07.12.2021 के क्रम में परिवादी श्री शिशिर प्रधान, जनपद लखनऊ के परिवाद दिनांक 31.08.2021 में उल्लिखित शिकायतों की जांच किए जाने हेतु शासन कार्यालय ज्ञाप संख्या- I/130273/2022-71-2099 /630/2021, दिनांक 05.01.2022 के द्वारा मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की द्विसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

विषयगत प्रकरण के संबंध में जांच हेतु गठित उक्त द्विसदस्यीय समिति की जांच आख्या अभिलेखों सहित आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्र संख्या- 1266/17-06/2021-22, दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में परिवादी द्वारा किए गए परिवाद- 1,2,4,5 को जांच अधिकारी द्वारा सिद्ध पाया गया है तथा परिवाद संख्या- 3 को निराधार बताया गया है। परिवाद संख्या- 6 के संबंध में कोई मत स्थिर नहीं किया गया है।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या- 1266/17-06/2021-22, दिनांक 27.05.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या समस्त अभिलेखों सहित कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ / अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत। तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

सन्दर्भ- बी० अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्रांक- 3950/बी-2022, दिनांक 18.06.2022।

Resolution:-

सम्यक् विचारोपरान्त, कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रकरण में अग्रेतर जाँच हेतु के०जी०एम०यू० प्रथम परिनियमावली, 2011 के परिनियम 11.11 के अंतर्गत, अनुशासनिक समिति का गठन करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया।

अनुशासनिक समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

Note:- After deliberation and resolution on Agenda Item No. 17, with the permission of Chair Prof. Apjit Kaur, Dean, Faculty of Nursing Sciences/Hon'ble Member of the Executive Council joined back the meeting & due to some important work, Prof. A.P. Tikku Hon'ble Member of the Executive Council left the meeting, then-after deliberation began on Agenda Item No. 18.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 18

अवगत कराना है कि कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2020 के एजेण्डा बिंदु संख्या 12 एनी अदर संख्या 7 पर किये गए विनिश्चय के अनुपालन में कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित अनुशासनिक समिति की बैठक दिनांक 23.03.2022 में निम्न निर्णय लिया गया है:-

"Prof. Jamal Masood, Prof. S.P. Patel & Prof. Monica Agarwal were present before the members of the committee and verbally accept that no one has made any complaint.

In the above said matters on behalf of verbally acceptance "no one has any complaints" the committee members has decided to dispose off the matter"

उपरोक्त प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

सन्दर्भ: बी0 अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्रांक- 319/बी-2022, दिनांक 08.04.2022।

Resolution:-

सम्यक् विचारोपरान्त, कार्य-परिषद् द्वारा यह भी संज्ञान में लिया गया कि प्रो0 एस0पी0 पटेल एवं प्रो0 जमाल मसूद दोनों ही विश्वविद्यालय की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतःएव कार्य-परिषद् ने सर्वसम्मति से अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जाँच को समाप्त करने का निर्णय लिया।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 19


शैक्षणिक अधिष्ठान (बी0) अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय के पत्र संख्या 3914/बी-2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, विभागाध्यक्ष, थोरेसिक सर्जरी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र संख्या- 774 दिनांक 15.03.2022 जो कि विभागाध्यक्ष, सर्जरी (जनरल) विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा अग्रसारित है, जिसके द्वारा उन्होंने Listing of Transfer request of Prof. Shailendra Kumar from department of Surgery General to Department of Thoracic Surgery हेतु अनुरोध किया गया है, जिसे मा0 कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय की आगामी कार्य परिषद की बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये हैं ।


अतः प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, विभागाध्यक्ष, थोरेसिक सर्जरी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ के पत्र संख्या- 774 दिनांक 15.03.2022, अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमती पत्र संख्या- डीन एकेडमिक्स/केजीएमयू/2022/4251 दिनांक 02.05.2022 एवं लॉग बुक की छायाप्रतियों सहित प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

Resolution:-

सम्यक् विचारोपरान्त, कार्य-परिषद् द्वारा प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, सर्जरी विभाग, के थोरेसिक सर्जरी स्पेशियलिटी के शिक्षकों हेतु निर्धारित एन0एम0सी0 के मानकों को पूरा किये जाने एवं आगामी एन0एम0सी0 निरीक्षण के दृष्टिगत, सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के थोरेसिक सर्जरी विभाग का कार्यवाहक विभागाध्यक्ष बने रहने की पूर्व व्यवस्था को अग्रिम आदेशों तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया ।

इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लिया गया कि थोरेसिक सर्जरी विभाग में वर्तमान में सृजित प्रोफेसर का एक मात्र रिक्त पद अनुसूचित जाति की श्रेणी में विज्ञापित किया गया है, जबकि प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, सर्जरी विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं । अतःएव प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, सर्जरी विभाग के थोरेसिक सर्जरी विभाग में स्थानान्तरण के कार्यसूचीगत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया ।


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 20

चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना एवं संचालन हेतु शासी समिति की दिनांक 15.02.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सन्दर्भ: अधिशासी अधिकारी, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, केजीएमयू का पत्रांक- 295/केजीएमयूसीआरएस/2021, दिनांक 03.03.2022।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 21

पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम "Diploma in Medical Transcription & Typing" के संचालन से सम्बंधित के.जी.एम.यू. इंस्टिट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज की शासी निकाय (Governing Body) की By circulation आहूत बैठक में लिए गये निर्णयों पर माननीय कार्य-परिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है ।

सन्दर्भ: अधिष्ठाता, पैरामेडिकल संकाय, केजीएमयू इंस्टिट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंसेज, केजीएमयू का पत्रांक- 397/केजीएमयूआईएमपीएस/2022, दिनांक 21.06.2022 ।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar

King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 22

चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के पत्र संख्या 14917 दिनांक 21.06.2022 द्वारा प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव, माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :-

- (a) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शासन द्वारा स्वीकृत सीनियर रेजीडेण्ट (अपंजीकृत) के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 37 वर्ष के स्थान एन0एम0सी0 के अनुसार 45 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 नोटिफिकेशन दिनांक 16 अगस्त, 2019 अवलोकनीय है ।


Resolution:-


कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 नोटिफिकेशन दिनांक 16 अगस्त, 2019 के अनुरूप ब्रोड स्पेशियलिटी हेतु सीनियर रेजीडेण्ट (अपंजीकृत) के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 37 वर्ष के स्थान 45 वर्ष किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

- (b) सीनियर रेजीडेण्ट (अपंजीकृत) / नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट एवं डिमान्स्ट्रेटर की सीटों पर काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले फैकल्टी/पदाधिकारियों एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अलग से मानदेय स्वीकृत किये जाने हेतु चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 25/03/2022 में अनुमोदित मानदेय, जिसका विवरण क्रमशः निम्नवत् है, मा0 कार्य-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत:-
1. अध्यक्ष , काउंसिलिंग बोर्ड - रू0 2500 / - प्रतिदिन
 2. सदस्य , काउंसिलिंग बोर्ड - रू0 2000 / - प्रतिदिन
 - 3 काउंसिलिंग कार्य में सहयोग करने वाले अधिकारीगण - रू0 1800 / - प्रतिदिन
 4. तृतीय श्रेणी कर्मचारी - रू0 800 / - प्रतिदिन
 5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - रू0 500 / - प्रतिदिन

Resolution:-

प्रस्ताव पर इस बैठक के एजेण्डा संख्या- 15 पर निर्णय लिया जा चुका है ।


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA ITEM NO. 23

To note and approve the below mentioned references:-

S.No.	Ref. No.	Particulars
1.	Office Order No. 1768/B-2022, dt. 24.01.2022	Regarding sanction of leave without pay to Dr. Smriti Agarwal, Professor Junior Grade (Additional Professor), Dept. of Obs. & Gyane. from the date of relieving i.e. 24.01.2022 (afternoon) upto 03 years with lien on the said post to join as Professor in the Dept. of Obs. & Gyane. at Dr. RML Institute of Medical Sciences, Lucknow.
2.	Office Order No. 1852/B-2022, dt. 05.02.2022	Regarding Dr. Gulshan Kumar Singh, Professor, Dept. of Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics, Faculty of Dental Sciences being nominated as Officiating Head of the Department of Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics for day to day administrative work. This arrangement will continue subject to final clearance by the Hon'ble Court. He will not make any policy and financial decisions.
3.	Office Order No. 1962/B-2022, dt. 17.02.2022	Regarding sanctioning of leave without pay from the date of relieving i.e. 19.02.2022 (afternoon) to upto 05 years with lien to Dr. Ajai Singh, Prof. & Head, Dept. of Paediatric Orthopaedics of this University to join as Director in Super Specialty Paediatric Hospital and Post Graduate Teaching Institute, Noida, Uttar Pradesh. Dr. Ajai Singh is required to handover the charge of Head of the Department of Paediatric Orthopaedics to Prof. R.N. Srivastava, Dept. of Orthopaedics Surgery of this University from the afternoon of 19.02.2022.
4.	Office Order No. 89/B-2022, dt. 09.04.2022	Regarding acceptance of unconditional resignation rendered by Dr. Najmul Huda from the post of Professor Junior Grade (Additional Professor) in the Department of Pediatric Orthopaedics of this University w.e.f. 09.04.2021.
5.	Office Order No. 110/B-2022, dt. 12.04.2022	Regarding acceptance of resignation rendered by Dr. Manish Kumar Singh from the post of Assistant Professor in the Department of Anaesthesiology of this University w.e.f. 18.03.2021 (Forenoon).
6.	Office Order No. 111/B-2022, dt. 12.04.2022	Regarding acceptance of resignation rendered by Dr. Manoj Kumar Chaurasiya from the post of Assistant Professor in the Department of Anaesthesiology of this University w.e.f. 18.03.2021 (Forenoon).
7.	Endorsement No. 1478/B-2022, dt. 07.05.2022	Regarding extension of leave without pay with lien till 09.05.2022 to Dr. Sabuhi Qureshi, Professor, Dept. of Obs. & Gyane to continue on the said post in Dept. of Gynecological Oncology at Kalyan Singh Super Specialty Cancer Institute & Hospital, CG City, Lucknow, in compliance of Hon'ble High Court Order dt. 12.04.2022 passed in Writ Petition No. 11249(S/S) of 2021.
8.	Notice No. 36/B-2022, dt. 13.05.2022	Regarding constitution of a committee to inquire the matter of No Confidence motion against the present Head of the Department, Prof. Apjit Kaur, Department of Ophthalmology, KGMU UP, Lucknow made by joint letter dt. 19.02.2022 of Dr. Sanjiv Kumar, Dr. Arun Sharma & Dr. Vishal Katiyar, Department of Ophthalmology of this University.
9.	Order No. KGMU/VC/49, dt. 06.06.2022	डा० वेद प्रकाश, पल्मोनरी एण्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, केजीएमयू, लखनऊ के सह-आचार्य से सीधे प्रोफेसर के पद पर वैयक्तिक प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 09.03.2022 के सम्बन्ध में।

(25)


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


Registrar
King George's Medical University

10.	Office Memorandum No. 316/Affil/2022, dt. 14.06.2022	Regarding granting provisional affiliation of Government Institute of Medical Science, Greater Noida for M.B.B.S. Course with an annual intake of 100(one hundred) seats for the academic session 2020-21 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
11.	Office Memorandum No. 317/Affil/2022, dt. 14.06.2022	Regarding de-affiliation of Government Institute of Medical Science, Greater Noida for M.B.B.S. Course for the academic session 2021-22 King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
12.	Office Memorandum No. 318/Affil/2022, dt. 14.06.2022	Regarding granting provisional affiliation of Maharshi Vashishtha Autonomous State Medical College, Basti for M.B.B.S. Course with an annual intake of 100(one hundred) seats for the academic session 2020-21 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
13.	Office Memorandum No. 320/Affil/2022, dt. 15.06.2022	Regarding de-affiliation of Maharshi Vashishtha Autonomous State Medical College, Basti for M.B.B.S. Course for the academic session 2021-22 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
14.	Endorsement No. 3931/B-2022, dt. 17.06.2022	Regarding extension of leave without pay with lien till 04.07.2022 to Dr. Sabuhi Qureshi, Professor, Dept. of Obs. & Gyane to continue on the post of Professor in Dept. of Gynecological Oncology at Kalyan Singh Super Speciality Cancer Institute & Hospital, CG City, Lucknow, in compliance of Hon'ble High Court Order dt. 12.04.2022 passed in Writ Petition No. 11249(S/S) of 2021.
15.	Order No. KGMU/VC/69/2022, dt. 21.06.2022	Regarding appointment of Prof. A.K. Tripathi, HOD, Clinical Hematology as Dean, Faculty of Medicine of this University due to superannuation of Prof. Uma Singh, Dean, Faculty of Medicine of this University.
16.	कार्यालय आदेश संख्या 351/बी-22, दिनांक- 23.06.2022	प्रो० उमा सिंह, प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के दिनांक 24.06.2022 को अधिवर्षता आयु 65 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप वरिष्ठता के आधार पर प्रो० श्याम प्यारी जेसवार, प्रोफेसर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को दिनांक 24.06.2022 (अपरान्ह) से प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग का विभागाध्यक्ष नामित किये जाने के सम्बन्ध में।
17.	Letter No. 4621/Meeting Cell/2022, dt. 05.07.2022	Regarding nomination of Prof. A.P. Tikku, Head, Dept. of Conservative Dentistry & Endodontics & Prof. Amita Jain, Head, Dept. of Microbiology as the member of the Executive Council under the provision 8(d) of KGMU Act, 2022. In place of Prof. Neera Kohli, who had superannuated on 29.06.2022 & Prof. A.K. Tripathi, who had taken over the charge of Dean, Faculty of Medicine of this University.
18.	Office Memorandum No. 496/Affil/2022, dt. 12.07.2022	Regarding de-affiliation of Command Hospital, Central Command, Lucknow for MD/MS Course for the academic session 2021-22 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
19.	Office Memorandum No. 497/Affil/2022, dt. 12.07.2022	Regarding renewal of provisional affiliation of Command Hospital, Central Command for the mentioned MD/MS Course seats (18-eighteen) for the academic session 2018-19 to 2020-21 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
20.	गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 29.05.2021,	आउटसोर्सिंग के आधार पर पूर्व में जारी श्रमशक्तियों, सुरक्षा कार्मिकों एवं कस्टोडियल क्लीनिंग के समस्त कार्यादेश विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

	<p>गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक व नोट शीट दिनांक 22.07.2021, वित्त कार्यालय की नोट शीट दिनांक 04.08.2021, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 24.09.2021, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 22.12.2021, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 21.01.2022, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 23.03.2022, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 13.04.2022, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 28.04.2022, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 13.05.2022, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 14.05.2022, गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 24.05.2022, एवं गैर शैक्षिक चयन एवं नियुक्ति अनुभाग की नोटशीट दिनांक 28.06.2022</p>	
21.	<p>449/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2022 दिनांक 02.07.2022, 450/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2022 दिनांक 02.07.2022, 448/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2022 दिनांक 02.07.2022, 444/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2022 दिनांक 02.07.2022, 447/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2022 दिनांक 02.07.2022, एवं 446/गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग/2022 दिनांक 02.07.2022</p>	<p>Work Orders - शासन के निर्देशानुसार सेवाओं को जेम पोर्टल से प्राप्त किये जाने हेतु अंकित सर्विस उपलब्ध कराये जाने हेतु आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ।</p>

Resolution:-

Actions taken by the University Administration *vide* above references were approved unanimously.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY

(27)



Registrar
King George's Medical University

(With the permission of Chair, Any Other Agenda was circulated.)


AGENDA NO. 24 – ANY OTHER ITEM NO. 01


To consider the matter regarding decisions taken by the committee in its meeting held on 15.06.2022, constituted for the implementation of the circular received from Mr. Shambhu Sharan Kumar, Deputy Secretary, National Medical Commission (Undergraduate Medical Education Board) *vide* ref. no. U.15024/01/2022-UGMEB dt. 19.05.2022.

Reference - No. 6034 dt. 09.07.2022 of Dean, Academics of the University.

Resolution:-

The recommendations of the committee were accepted for Faculty of Medicine. As far as the matter regarding granting similar provisions to Faculty of Dental Sciences is concerned, it was resolved that clarification be sought from the regulatory body i.e. Dental Council of India.


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA NO. 24 - ANY OTHER ITEM NO. 02

To consider the matter regarding extension of the payment of wages of KGMU CRS for one year from Feb-2023, submitted *vide* letter ref. no. 534/KGMUCRS/2022 dt. 12.07.2022 of Prof. Vinod Jain, Executive Officer, Community Radio Station of this University.

Resolution:-

It was taken into consideration that already the matter regarding the payment of wages of KGMU CRS manpower from the KGMU Paramedical Income Fund is approved by the Hon'ble Executive Council up till Feb'23. A decision on further extension from the KGMU Paramedical Income Fund, as deemed necessary, will be taken in time.

In the mean time, it was suggested by Hon'ble members that efforts be made to make KGMU CRS self sustainable monetarily by gathering/generating funds through advertisements and other alternate channels i.e. Crowd Funding, Corporate Social Responsibility funding, Alumni funding etc.



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA NO. 24 - ANY OTHER ITEM NO. 03

अवगत कराना है कि डा० वाणी गुप्ता, वर्तमान पद-प्रधानाचार्य, ए०एस०एम०सी० मेडिकल कालेज, हरदोई, पता-105 बी, जगत नारायण रोड, चौक लखनऊ के पत्र दिनांक 15.07.2022 का अवलोकन करना चाहें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कुलसचिव, कार्यालय के पत्र संख्या:-3814/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग/2022 दिनांक: 15.06.2022 के क्रम में किराया भत्ता के रूप में रू० 2,05,000/- (दो लाख पाँच हजार) डी०डी० संख्या- 999851 दिनांक: 15.07.2022 के द्वारा वित्त अधिकारी, के०जी०एम०यू० लखनऊ के नाम पर जमा कर दिया गया है। इस क्रम में कुल धनराशि रू० 4,05,000/- (चार लाख पाँच हजार) वित्त अधिकारी, के०जी०एम०यू० लखनऊ के नाम पर जमा किये जा चुके हैं।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कुलसचिव, कार्यालय के आदेश संख्या:-462/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग/2022 दिनांक: 07.07.2022 जो कि डा० वाणी गुप्ता, वर्तमान पद- प्रधानाचार्य, ए०एस०एम०सी० मेडिकल कालेज, हरदोई, को आवंटित आवास संख्या-105 बी, जगत नारायण रोड, चौक लखनऊ को रिक्त किये जाने के सम्बन्ध में है एवं पृष्ठांकन संख्या:-4711/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग/2022 दिनांक: 07.07.2022 के द्वारा श्री दिनेश कुमार राज, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण विभाग, के०जी०एम०यू० लखनऊ को उक्त आवास को तत्काल रिक्त कराते हुए चाभी प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने हेतु प्रेषित है के क्रम में श्री दिनेश कुमार राज, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण विभाग, के०जी०एम०यू० लखनऊ के पत्रांक:-4678/एम-10/2022 दिनांक: 18.07.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "सम्बन्धित कार्यक्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त आवास को खाली कराने तथा चाभी प्राप्त करने का प्रयास किया किन्तु उक्त आवास में रह रहे डा० वाणी गुप्ता के पिता जी द्वारा खाली नहीं किया गया। चूंकि डा० वाणी गुप्ता, ए०एस०एम०सी० मेडिकल कालेज, हरदोई की प्रधानाचार्य हैं एवं वर्तमान में हरदोई में हैं। दिनांक 12 एवं 13 जुलाई तथा 18 जुलाई, 2022 को इनसे इनके मोबाइल नं० 9839914186 पर वार्ता की गई किन्तु उनके द्वारा फैंकल्टी आवास संख्या-105 बी ब्लॉक, जगत नारायण रोड को खाली करने के सम्बन्ध में कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। इस कारण उक्त आवास का अभी तक कब्जा एवं चाभी नहीं प्राप्त हो पाया है।"

पूर्व में कुलसचिव, कार्यालय के निम्नवत् पत्रों के द्वारा डा० वाणी गुप्ता, वर्तमान पद- प्रधानाचार्य, ए०एस०एम०सी० मेडिकल कालेज, हरदोई को उक्त आवास को खाली करने हेतु निर्देशित किया गया था:-

1. पत्र संख्या 8894/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग, दिनांक 20.11.2021,
2. पत्र संख्या 12862/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग, दिनांक 21.02.2022,
3. पत्र संख्या 577/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग, दिनांक 12.04.2022,
4. पत्र संख्या 782/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग, दिनांक 19.04.2022,
5. पत्र संख्या 3814/जी०ए० एवं सम्पत्ति अनुभाग, दिनांक 15.06.2022 ।

डा० वाणी गुप्ता द्वारा प्रधानाचार्य, ए०एस०एम०सी० मेडिकल कालेज, हरदोई के पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी चिकित्सा विश्वविद्यालय में आपको आवंटित आवास सं०-105 बी को रिक्त नहीं किया गया है जबकि किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा एक ही समय में दो सरकारी आवासों में अध्यासन या उसका कब्जा बनाये रखना, उ०प्र० सरकार के नियमों के विरुद्ध है। साथ ही डा० वाणी गुप्ता को मा० कुलपति जी द्वारा भी चिकित्सा विश्वविद्यालय में आवंटित आवास सं०-105 बी को तत्काल रिक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि अभी तक उक्त आवास को उनके द्वारा रिक्त नहीं किया गया है जो कि सक्षम अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना दृष्टिगोचर करता है।

संदर्भगत प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बार-बार अनुरोध/वेतावनी के बावजूद डा० वाणी गुप्ता के द्वारा अवैध रूप से दो सरकारी आवासों पर कब्जा करने की जानकारी से शासन को सूचित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा प्रकरण को माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए हैं ।

अतः प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

संदर्भ:- जी.ए. अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय का पत्र संख्या 5342/जी.ए. अनुभाग/2022 दिनांक 21.07.2022 ।

Resolution:-

प्रकरण में विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा सरकारी आवासों के किराये का निर्धारण तथा वसूली एवं राजकीय कर्मियों के सेवानिवृत्ति/मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराये का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख किया गया ।

अतः एव प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शासकीय नियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति किराये का निर्धारण पूर्व की तिथियों से करते हेतु, उक्त का भुगतान डा० वाणी गुप्ता से प्राप्त करते हुए, उनको चिकित्सा विश्वविद्यालय के आवास में अध्यासन की अनुमति अग्रिम आदेशों तक प्रदान की गई ।

VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

(30)

Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA NO. 24 – ANY OTHER ITEM NO. 04

अवगत कराना है कि इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों को शासन के पत्र सं० 2262/71-2-2019 दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए और महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ० प्र० के पत्र सं० एम०ई०-2/2019/3118 दिनांक 14.11.2019 द्वारा विभागों को देवनागरी लिपि की वर्णमाला के वर्णानुक्रम में क्रमवार व्यवस्थित करते हुए जारी सूची के अनुसार विभागों का निर्धारण करते हुए संवर्गवार कार्मिक अनुभाग के ज्ञाप सं० 5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.1 दिनांक 13.08.2019 द्वारा जारी 100 बिन्दू रोस्टर के अनुसार आरक्षण का निर्धारण करते हुए रोस्टर समिति की संस्तुति के आधार पर रिक्त पदों को दिनांक 10.01.2020 को विज्ञापित किया गया था जिसके क्रम में संवर्गवार रोस्टर रजिस्टर तैयार किया गया था और विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति होने के उपरान्त उनके नामों को रोस्टर रजिस्टर में अंकित कर दिया गया है। वर्तमान में भी हुए विज्ञापन दिनांक 12.07.2022 में शामिल किये गये रिक्त पदों को भी रोस्टर रजिस्टर में अंकित करने के उपरान्त विज्ञापित किये गये हैं।

उक्त के क्रम में तैयार रोस्टर रजिस्टर मा० कार्य-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सन्दर्भ:- बी० अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय की नोट-शीट दिनांक 18.07.2022।

Resolution:-

कार्य-परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।



VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW



Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow


AGENDA NO. 24 – ANY OTHER ITEM NO. 05


To note and approve the below mentioned references:-

S.No.	Ref. No.	Particulars
22.	Office Memorandum No. 1848/Affil/2022, dt. 04.02.2022	Regarding de-affiliation of College of Nursing, Command Hospital, Lucknow for the P.B.Sc & B.Sc. Nursing Course from the academic session 2021-22 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
23.	Office Memorandum No. 1869/Affil/2022, dt. 09.02.2022	Regarding de-affiliation of Samarpan Institute of Nursing & Paramedical Sciences, 1056 Goyla, Lucknow for the B.Sc. Nursing Course from the academic session 2021-22 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
24.	Office Memorandum No. 2138/Affil/2022, dt. 26.03.2022	Regarding de-affiliation of Regional Institute of Ophthalmology, Sitapur Eye Hospital, Sitapur for MS (Ophthalmology) Course from the academic session 2021-22 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
25.	Office Memorandum No. 2139/Affil/2022, dt. 26.03.2022	Regarding grant of provisional affiliation of Regional Institute of Ophthalmology, Sitapur Eye Hospital, Sitapur for MS (Ophthalmology) Course with an annual intake of 15 (Fifteen) seats for the academic session 2020-21 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
26.	Office Memorandum No. 02/Affil/2022, dt. 01.04.2022	Regarding grant of provisional affiliation of Maharaja Suhel Dev Autonomous State Medical College & Maharishi Balark Hospital, Bahraich for the MBBS Course with an annual intake of 100 (one hundred) seats for the academic session 2020-2021 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.
27.	Office Memorandum No. 30/Affil/2022, dt. 12.04.2022	Regarding de-affiliation of Maharaja Suhel Dev Autonomous State Medical College & Maharishi Balark Hospital, Bahraich for the MBBS Course from the academic session 2021-22 with King George's Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow.

Resolution:-

Actions taken by the University Administration *vide* above references were approved unanimously.


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

AGENDA NO. 24 - ANY OTHER ITEM NO. 06

अवगत कराना है कि डॉ० आशीष वाखलू द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2019 के द्वारा निम्न सूचना की माँग की थी:-

1. दिनांक- 27.09.2017, 13.10.2017, 02.06.2018, 02.08.2018 एवं 19.10.2019 को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की आयोजित बैठकों से किन-किन बैठकों में मेरे प्रकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया।
2. उन बैठकों में केवल मेरे प्रकरणों से सम्बन्धित सुनवाई की वीडियो क्लिप मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में सहायक जनसूचना अधिकारी, के०जी०एम०यू० लखनऊ के पत्र संख्या 8287/188/आर०टी०आई०सेल/2019-20 दिनांक- 13.11.2019 के द्वारा मीटिंग सेल, कुलसचिव कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी, जो कि निम्नवत है:-

"चाही गयी सूचना से सम्बन्धित रिकार्डिंग, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा -8 'सूचना का खुलासा किये जाने से छूट' की उपधारा -1 से सम्बन्धित खण्ड (घ), (ड), (छ) व (ज) के अन्तर्गत सूचना दिये जाने से छूट अनुमन्य है"

आवेदक ने उक्त के क्रम में मा० राज्य सूचना आयोग में आपील योजित की जिसकी दिनांक 19.03.2021, 02.09.2021, 08.11.2021, 07.02.2022 एवं 02.05.2022 की तिथियों में सुनवाई हुई।

अग्रेतर, अंतिम सुनवाई दिनांक- 19.07.2022 को मा० मुख्य सूचना आयुक्त उ०प्र० ने आदेश दिनांक 19.07.2022 द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये-

"आयोग का मत है आवेदक द्वारा वांछित सूचना / वीडियो क्लिप अधिनियम की धारा 8 की परिधि में नहीं आती है, क्योंकि यह सूचना/वीडियो क्लिप आवेदक से ही सम्बन्धित है, इसलिए इस अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी है। अतः रजिस्ट्रार/जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ०प्र० लखनऊ को न्यायहित में एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि एक माह के अन्दर आवेदक को वांछित सूचना/वीडियो क्लिप उपलब्ध कराये तथा कृत कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि उनके द्वारा साशय आवेदक को वांछित सूचना/वीडियो क्लिप उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।"

2- उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री चंद्रशेखर सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ के निम्नलिखित का भी सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1	प्र०पत्र सीए/सीपी/शि०प्र०-02(737/2022 आवेदक अज्ञात के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की बैठक की वीडियोग्राफी प्रदान करने तथा उसे सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में।	आवेदक नाम पता अज्ञात द्वारा डा० आशीष वाखलू पुत्र अवतार किशन बाखलू निवासी -1/147 विवेक खण्ड गोमतीनगर लखनऊ के बैंक खातों का विवरण अवैधानिक तरीके से पूर्व कुलपति डा० भट्ट द्वारा बैंक प्रबन्धक द्वारा निकलवा कर डा० सन्तोष कुमार को प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उक्त के सम्बन्ध में एक याचिका उच्च न्यायालय में किया गया है तथा अवैधानिक तरीके से बैंक खातों का विवरण निकालने के बावत अभियोग पंजीकरण कराने हेतु 156(3) सीआरपीसी में न्यायालय प्रा० पत्र० दिया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा एक वीडियो क्लिप एजेण्डा आईटम संख्या 12(3) दिनांक 18/12/2019 प्रदान किया गया है जिसमें डा० आशीष वाखलू के बैंक खातों के जिक्र का विवरण आया है। अतः आप से प्रार्थना है कि एजेण्डा आईटम संख्या 12(3) दिनांक 18/12/2019 की वीडियोग्राफी अभिलेखार्थ सुरक्षित रखने तथा उसकी प्रति जाँच के क्रम में मुझे जाँच कर्ता को प्रदान करने की कृपा करें।

(33)



VICE CHANCELLOR

K. G. GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY



Registrar

King George's Medical University

2	मु0अ0सं0 56/2021 धारा 409/420 भादवि थाना-चौक लखनऊ बनाम डा0 आशीष वाखलू की विवेचना के क्रम में कार्यपरिषद की बैठक विडियोग्राफी प्रदान करने तथा उसे सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में।	थाना चौक, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 56/2021 धारा 409/420 भादवि बनाम डा0 आशीष बाखलू की विवेचना वर्तमान समय में मेरे द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि मुकरदमा वादी द्वारा अंकित करायी गयी रिपोर्ट में कहा गया कि कुलसचिव, केजीएमयू लखनऊ के पत्र संख्या-3086/जी0ए0 सम्पत्ति/2000 दिनांक 12/06/2020 के द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 08/06/2020 के Any Other Agenda (15)-Item No- 01 पर किये गये विनिश्चय पर मा0 कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त केजीएमयू उ0प्र0 लखनऊ का प्रथम परिनियमावली 2011 के परिनियम 2.09(13) तीन निहित प्राविधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की ओर से डा0 आशीष बाखलू, पदच्युत प्रोफेसर, पीडीयाट्रिक सर्जरी विभाग के विरुद्ध एफ0आई0आर0 पंजीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि पत्र संख्या -3086/जी0ए0 सम्पत्ति/2000 दिनांक 12/06/2020 के अवलोकन से पाया गया कि विहित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराने की बात तो कही गयी हैं परन्तु किसी को नामित नहीं किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 08/06/2020 के Any Other Agenda (15)-Item No 01 की कार्यवाही की वीडियोग्राफी साक्ष्य के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख है। अतः अनुरोध है कि मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 08/06/2020 के Any Other Agenda (15) Item No - 01 की कार्यवाही की वीडियोग्राफी को अभिलेखार्थ मुकदमा उपरोक्त के क्रम में सुरक्षित रखने तथा जरिये पेन ड्राईव मुझ विवेचक को प्रदान करने की कृपा करें।
---	--	--

माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार, उपरोक्त प्रकरण माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष, विचार-विमर्श एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।


Resolution:-

सम्यक विचारोपरान्त, माननीय कार्य-परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 14.01.2020 के एजेण्डा संख्या 06(01) एवं बैठक दिनांक 28.01.2022 के एजेण्डा संख्या 12 पर किये गये विनिश्चय के क्रम में सर्वसम्मति से पुनः मत स्थिर किया कि कार्य-परिषद् की वीडियोग्राफी को बाहरी स्रोत को उपलब्ध नहीं कराया जाय तथा श्री चंद्रशेखर सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक, थाना चौक, कमिश्नरेट लखनऊ के कार्यसूचीगत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया एवं अवश्यक्तानुरूप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये।


इसके अतिरिक्त माननीय राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 19.07.2022 को खण्डित कराने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही सम्पन्न करने के आदेश प्रदान किये।

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair.

..*.*


VICE CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
LUCKNOW

(34)


Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow